न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 13/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/65

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
लालदास पुत्र श्री मथुरादास जाति वैष्णव निवासी – ग्राम दयालपुरा, तहसील पाली जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत दयालपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दयालपुरा तहसील पाली जिला पाली। 2. सरकार जरिये तहसीलदार पाली राजस्थान

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–: **निर्णय** :–

दिनांक :– 17.03.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत तहसीलदार, पाली द्वारा ग्राम पंचायत दयालपुरा में आवंटन आदेश दिनांक 20.09.1967 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव व सरकारी पैरोकार वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दयालपुरा में खसरा संख्या 106 में प्रार्थी एवं प्रार्थी भाईयो का अपने पिताजी के जीवनकाल से करीबन 50 वर्षो से अधिक समय से 60 बीघा से अधिक की कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस बाबत नियमन की कार्यवाही प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयो के नाम अमल मे लाये जाने के बजाए, जैर विधि विरूद्व आवंटन खसरा नम्बर 799/106 रकबा 30 बीघा (4.8562 हैक्टर) किस्म बारानी दोयम का बिना आदेश व कानून की पालना किये बिना किया गया जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। जैर आवंटन होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1का आज दिनांक तक जैर आराजी पर कब्जा काश्त नही होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत भूमिहीन को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किये जाने के प्रावधान है परन्तु जैर आवंटन के पूर्व से ही 15 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के नाम दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि जैर आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से किया गया जो खारिज किया जाना नितांत आवश्यक है। कोई भी आवंटन 4 हैक्टेयर भूमि से अधिक का नही किया जा सकता परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कुल 45 बीघा कृषि भूमि बनती है जिससे भी जैर आवंटन अविधिक होने से निरस्त योग्य है। अतः जैर आवंटन दिनांक 20.09.1967 जो कि ग्राम पंचायत दयालपुरा के पक्ष में किया गया, पूर्णतः नियमों की अनदेखी करते हुए किया गया जो सव्यय खारिज फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर यह प्रकट आता है कि आवेदक द्वारा रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में ग्राम दयालपुरा के खसरा संख्या 799/106 रकबा 30 बीघा जो कि दिनांक 20.09.1967 को आवंटित की गई थी, उसे निरस्त करवाये जाने हेतु जैर आवेदन नियम 14(4) अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है तथा उक्त आवेदन में जो प्रमुख आधार लिये गये है वह यह है कि –

1. मिथ्या तथ्य प्रकट कर के जिसमें प्रमुखतया आवेदक का भूमिहीन नहीं होना बताया है।
2. विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा होना अवगत करवाया है तथा भूमि को अनधिवासित नहीं होना व्यक्त किया है।

प्रकरण में हम आवेदक के उजात का बिन्दुवार विवेचन करना उचित समझते है। सर्वप्रथम तो हम यह कहना उचित समझते है कि जैर आवंटन वर्ष 1967 में हुआ जबकि प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना–पत्र निरस्तीकरण बाबत् वर्ष 2024 में यानि कि लगभग 57 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है जो स्वयं अपने आप में विस्मयकारी है।

1. आवेदक का प्रथम उज्र कि जैर आवंटन करवाने बाबत् जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया उसमें आवंटी द्वारा मिथ्या तथ्य प्रकट किये है व आवंटी के नाम पूर्व से दर्ज भूमि बाबत् कथन किया परन्तु उक्त तथ्य को प्रमाणित किये जाने हेतु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः मिथ्या कथन के आधार पर आवंटन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।
2. द्वितीयतः आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना अवगत करवाया है, परन्तु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मणीराम बनाम देवीसिंह आर.बी.जे. 2009 (16) पेज संख्या 789 न्यायिक नजीर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **when disputed land was in possession of the appeallant as trespasser – Such possession would be considered as trespass – a trespassed land is not considered as an occupied land and such land is available for allotment** अर्थात् अन्य व्यक्ति का कब्जा **trespass** ही माना जाता है तथा उसका कोई **locus standai** नहीं होता।

इसके अतिरिक्त 57 वर्ष पूर्व किये गये आवंटन में आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना माना जाना एवं विशेष रूप से तब जब सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये हो, कोई विधिक आधार नहीं है।

समग्र रूप से हम लगभग 57 वर्षों बाद सरसरी, अत्यन्त तकनीकी एवं सारहीन आधारों पर आवेदक द्वारा वर्णित आधारों पर जैर आवंटन जो कि एक स्थानीय निकाय को किया गया है, को खारिज किये जाने के कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार नहीं पाते है। अतएव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) अविधिक एवं सारहीन होने से खारिज कर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में ग्राम दयालपुरा के खसरा संख्या 799/106 रकबा 30 बीघा के किये गये आवंटन आदेश दिनांक 20.09.1967 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक0 **17.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली